451
29.9.15

संख्या:2618 / 33–3–2015–10जीआई / 2015

प्रेषक,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांकः 29 सितम्बर, 2015

विषयः ग्राम पंचायतों के समग्र एवं समेकित विकास हेतु पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने हेतु मार्ग निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0 11015 / 123 / 2015–पी0बी0, दिनांकः 28 मई, 2015 एवं 30.07.2015 के द्वारा प्रदेश में ग्राम पंचायतों के समग्र विकास हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किए जाने सम्बन्धी निर्देश दिये गये हैं। उक्त पत्रान्तर्गत पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किए जाने एवं 14 वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, एम0जी0एन0आर0ई0जी0एस0 स्वयं के संसाधनों इत्यादि का अभिसरण (कन्वर्जेन्स) कर ग्राम पंचायतों में संसाधनों की उपलब्धता बेहतर करने पर बल दिया गया है।

3192
उप निदेशक (पं0)(एम0)

जैसा कि आप अवगत है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 15 'क' में ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्राविधान है।

निदेशक
29/9/15

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहभागी नियोजन द्वारा ग्राम पंचायत की क्षमताओं एवं संसाधनों का आकंलन कर उनकी आवश्यकताओं के चिन्हीकरण एवं अनुभूत आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाना वांछित है, जिससे कि ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से पंचायत के सर्वांगीण विकास को लक्षित किया जा सके। सहभागी नियोजन से ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन के रूप में न केवल विकसित होगा बल्कि विभिन्न स्रोतों / सेक्टर के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों का स्थानीय उत्प्रेरण एवं क्रियान्वयन कर नागरिकों में सुविधा उपलब्ध कराये जाने का साधन बन सकेगी।

उल्लेखनीय है कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को वर्ष 2015–16 में रू. 3862.60 करोड़ की धनराशि विकास कार्यों के सम्पादन हेतु

उपलब्ध करायी जा रही है, जिसे सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में हस्तान्तरित की जानी है। 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों द्वारा ग्राम पंचायत में नियोजन एवं संसाधनों के अधिकतम उपयोग की अनुशंसा की गई है, ताकि मूलभूत सुविधाओं पर प्रभावी एवं सरल रूप में पहुँच बनाई जा सके। इसके अतिरिक्त **14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार परफारमेन्स ग्रान्ट पाने के लिए अर्हता हेतु निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को स्वयं की आय को प्रतिवर्ष बढ़ाया जाना एक अनिवार्य शर्त है**, इसलिए पंचायतों को स्वयं की आय के स्रोतों को बढ़ाने के अन्य प्रभावी रास्ते तलाशने होंगे।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम पंचायत के समग्र विकास हेतु निम्नलिखित रूप से ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जानी है।

1— ग्राम पंचायत विकास योजना की आवश्यकता—

वर्तमान में ग्राम पंचायतों द्वारा सहभागी नियोजन एवं विभिन्न योजनाओं का अभिसरण कर वार्षिक कार्ययोजना बनाये जाने पर बल नहीं दिया जा रहा है एवं न ही पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही हे। सहयोगी विभागों द्वारा ग्राम पंचायतों के विकास हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत मात्र विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति की जा रही है, अतः पंचायत स्तर पर परस्पर समन्वय के अभाव में पंचायतों के समग्र विकास की अवधारणा की पूर्ति नहीं हो पा रही है।

पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों का न केवल विजन स्पष्ट होगा अपितु समय पर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप भी तैयार होगा, जिससे पंचायतों का सार्वागीण विकास हो सके। अतः यह आवश्यक हो गया है कि पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जाये, जोकि सहभागी नियोजन एवं विभिन्न संसाधनों के अभिसरण (कन्वर्जेन्स) पर आधारित हो।

2— ग्राम पंचायत विकास योजना के उद्देश्य—

1. ग्राम पंचायत का समग्र एवं समेकित विकास, जिसमें न केवल अधोसंरचनात्मक विकास बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास भी सम्मिलित है।
2. निर्णय लेने की प्रकिया का विकेन्द्रीकरण से तात्पर्य समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना।
3. ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्राथमिकीकरण।
4. सहयोगी नियोजन एवं संसाधनों के अभिसरण को बढ़ावा दिया जाना।
5. ग्राम पंचायत विकास योजना में अन्य महत्वपूर्ण मुददों यथा—निर्धनों की आजीविका, निर्धनता एवं सामाजिक सुरक्षा को प्रमुखत्ता से सम्मिलित करते हुए

अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी है।

3– योजना के महत्वपूर्ण घटक–

73 संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम–1947 यथा संशोधित 1994 के अन्तर्गत उल्लिखित ग्राम पंचायतों को निम्न आधारभूत कार्यों/उत्तरदायित्वों में से निम्नलिखित कार्यों/उत्तरदायित्वों का प्रतिनिधायन किया गया है :–

1. ग्राम पेयजल योजनाओं का परिचालन एवं रख–रखाव।
2. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
3. बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह का भोजन
4. ग्रामीण किसान बाजारों एवं पशु हाटों का परिचालन तथा रख–रखाव।
5. ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम।
6. श्रेणी 'द' के पशु चिकित्सालयों का पर्यवेक्षण एवं अनुरक्षण।
7. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिये कल्याणकारी कार्यक्रम यथा पेंशन आदि हेतु लाभार्थियों का चयन।
8. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति–सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पर्यवेक्षण।
9. पंचायत क्षेत्र में सृजित स्थायी परिसम्पत्तियों का रख–रखाव।
10. ग्रामीण पुस्तकालय।
11. ग्राम स्तर पर युवा कल्याण कार्यक्रम।
12. ग्रामीण आवास योजनायें–लाभार्थियों का चयन।
13. मुख्य चिकित्साधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा क्रमशः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की निरीक्षण रिपोर्ट का प्रमुख एवं प्रधान द्वारा सत्यापन।
14. लघु सिंचाई–लाभार्थियों का चयन।
15. ऊसर भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का रख–रखाव।

ग्राम पंचायत विकास योजना के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की जायेगी कि ग्राम पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग सुनिश्चित करते हुए सुविधाओं का समुचित वितरण किया जाएगा। इसके पश्चात् ही अन्य कार्यों यथा पुस्तकालय की स्थापना, वृक्षारोपण, बाल विकास, सहकारी समितियों का अनुरक्षण तथा आपदा प्रबन्धन को सम्मिलित किया जायेगा। समस्त

कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन से ग्रामीण क्षेत्र में जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार एवं अन्ततः मानव विकास सूचकांक भी बेहतर हो सकेगा।

4— ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु संसाधनों का निर्धारण—

ग्राम पंचायत विकास योजना में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों का उल्लेख निम्न प्रकार से रहेगा —

(क) स्वयं के स्रोत / संसाधन (कर आदि)

(ख) केन्द्रीय अनुदान

(ग) राज्य अनुदान

(घ) स्वैच्छिक अनुदान

(ङ) केन्द्र एवं राज्य द्वारा संचालित योजनाएं।

ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को पंचायत घर या अन्य सामुदायिक भवनों इत्यादि पर दीवार लेखन के माध्यम से जन सामान्य को सूचना प्रदान करने हेतु प्रदर्शित किया जाएगा।

ग्राम पंचायत विकास योजना के कियान्वयन हेतु निम्नालिखित केन्द्रीय तथा राज्य की योजना के वित्तीय एवं मानव संसाधन का अभिसरण किया जाएगाः—

1. केन्द्रीय वित्त आयोग
2. राज्य वित्त आयोग
3. मनरेगा
4. स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0)
5. अंत्येष्टि स्थलों का विकास
6. पंचायत भवनो का निर्माण
7. एन0आर0एल0एम0

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर पर सभी विभागों के कर्मचारी ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में आपेक्षित योगदान देंगें एवं उपरोक्त के संदर्भ में सम्बन्धित विभाग द्वारा पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाएगा।

5— ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने की प्रक्रिया

क) जन उन्मुखीकरणः— योजना बनाये जाने के लिए जन सामान्य की भागीदारी अत्यन्त महत्वपूर्ण है अतः विभिन्न आई0ई0सी0 गतिविधियों एवं सूचना प्रसारण माध्यमों से उपयुक्त वातावरण का निर्माण एवं जन उन्मुखीकरण के माध्यम से जन सहभागिता किया जाना अत्यन्त आवश्यक होगा।

ख) **संवेदीकरण एवं क्षमता संवर्धन–** सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिनकी योजना बनाये जाने में भूमिका होगी, को पंचायती राज विभाग द्वारा संवेदीकरण एवं क्षमता संर्वधन किया जायेगा।

ग) **प्रारम्भ में ग्राम सभा की बैठक का आयोजन–** प्रारम्भिक स्थिति में ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर ग्राम पंचायत विकास योजना बनाये जाने की आवश्यकता, ग्राम पंचायत के पास संसाधन की उपलब्धता एवं पारिस्थितिक विश्लेषण इत्त्यादि के संबंध में ग्राम सभा को बताया जाना होगा।

घ) **पारिस्थितिक विश्लेषण–** पारिस्थितिक विश्लेषण के लिए ग्राम पंचायत स्तर के सहयोगी आंकड़े के साथ–साथ प्रारम्भिक आंकड़ों को विभिन्न माध्यमों से जैसे पी0आर0ए0 टूल्स, सर्वे इत्यादि से आंकड़े एकत्रित कर पारिस्थितिक विश्लेषण किया जाना होगा। पारिस्थितिक विश्लेषण की ड्राफ्ट रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष विमर्श/चर्चा के लिए रखी जायेगी साथ ही साथ यह रिपोर्ट स्वयं सहायता समूहों, विशेषज्ञों इत्यादि को भी सलाह हेतु उपलब्ध करायी जा सकती है इसके उपरान्त परिस्थितिक विशलेषण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जायेगा।

ङ) कार्यो का प्राथमिकीकरण एवं परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाना– पारिस्थितिक विश्लेषण रिपोर्ट को ग्राम सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जायेगा साथ ही साथ ग्राम सभा की बैठक में जन सामान्य की आवश्यकताओं एवं कार्यो का चिन्हीकरण किया जायेगा। ग्राम सभा को पंचायत के पास उपलब्ध संसाधनों की भी जानकारी दी जायेगी इसके उपरान्त जन सामान्य की आवश्कताओं, पंचायत के पास उपलब्ध संसाधन तथा पारिस्थितिक विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा में आवश्यकताओं एवं कार्यो का प्राथमिकीकरण किया जायेगा।

कार्यो का प्राथमिकीकरण के उपरान्त ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप एवं क्षेत्र पंचायत तकनीकी ग्रुप की सहायता से कार्यो का परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जायेगा।

च) ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाना– परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के उपरान्त ग्राम पंचायत की नियोजन एवं विकास समित द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जायेगा। ग्राम पंचायत विकास योजना के ड्राफ्ट को ग्राम सभा के समक्ष खुली बैठक में चर्चा एवं अनुमोदन/स्वीकृति के लिए रखा जायेगा। ग्राम पंचायतें पंचवर्षीय ग्राम पंचायत विकास योजना को ध्यान में रखते हुए अपनी वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करेगी।

छ) ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना— ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रशासनिक स्वीकृति के लिए रखा जायेगा।

6) ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु जनपद स्तर पर जिला स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वयन समिति—

ग्राम पंचायत विकास योजना नियोजन एवं कार्यान्वियन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वयन समिति होगी, जोकि ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन के अनुश्रवण की कार्यकारी समिति होगी। समिति की प्रत्येक त्रैमास में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। समिति में निम्न सदस्य होंगे—

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
4.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
5.	जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
6.	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	सदस्य
7.	जिला विकलांग कल्याण अधिकारी	सदस्य
8.	जिला अल्पसंख्यक अधिकारी	सदस्य
9.	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
10.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
11.	अपर मुख्य अधिकारी	सदस्य
12.	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम	सदस्य
13.	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत	सदस्य
14.	अधिशासी अभियन्ता, सिचाई	सदस्य
15.	अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	सदस्य
16.	उपनिदेशक, कृषि प्रसार	सदस्य
17.	जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.	सदस्य
18.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
19.	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य /सचिव

20\. डी0पी0आर0ओ0/जिलाधिकारी द्वारा दो नामित प्रधान एवं एक ब्लाक प्रमुख सदस्य

7) ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप–क्लस्टर स्तर पर

प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या की तुलना में पंचायत सचिवों एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता में काफी अन्तर होने के कारण 10–10 ग्राम पंचायतों का क्लस्टर तैयार किया जायेगा, प्रत्येक क्लस्टर का एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जायेगा, जिसकी देखरेख में क्लस्टर के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जायेगी।

8) परियोजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति

ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत लिए गये परियोजना/कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, मार्गनिर्देशिका में अध्याय–7 'तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति में दिये गये निर्देशों के अनुसार ली जायेगी।

9) योजना बनाये जाने की प्रकिया एवं योजना मे लिए गए कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्याकंन

पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना को प्लान प्लस साफ्टवेयर (www.planningonline.gov.in) में अपलोड किया जायेगा तथा एक्शन सॉफ्ट सॉफ्टवेयर (www.reportingonline.gov.in) के माध्यम से प्रत्येक माह कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को अपलोड किया जाना होगा।

योजना बनाये जाने की प्रकिया का शत् प्रतिशत निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी द्वारा 03 माह में, जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत, मण्डलीय उप निदेशक पंचायत द्वारा 05 प्रतिशत, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 02 प्रतिशत तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के भ्रमण के समय ग्राम पंचायत विकास योजना का निरीक्षण किया जायेगा।

10) वित्तीय संसाधन

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु ग्राम पंचायतों को पारिस्थितिकी विश्लेषण, कार्यशाला, क्षमता संवर्धन इत्यादि कार्य किया जाना होगा अतः इस हेतु वांछित धनराशि प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से धनराशि की उपलब्धता के आधार पर ग्राम पंचायतों को दिया जायेगा। 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मद में भी धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिससे ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किये जाने में सहायता होगी। इस धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग अलग से निर्देश जारी करेगा।

कृपया दीर्घ कालिक विकास को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने हेतु उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः ग्राम पंचायत विकास योजना की मार्ग निर्देशिका।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या— /33–3/2015 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याही हेतु

1. श्री एस0एम0विजयानंद, सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
5. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
6. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
7. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0शासन।
10. प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0।
11. प्रमुख सचिव, सिचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
13. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
14. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
15. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
16. समस्त मंडलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
17. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0।
18. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
19. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
20. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव,

कृपया दीर्घ कालिक विकास को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने हेतु उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः ग्राम पंचायत विकास योजना की मार्ग निर्देशिका।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या-2618(1) /33-3/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याही हेतु

1. श्री एस0एम0विजयानंद, सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
5. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
6. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
7. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0शासन।
10. प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0।
11. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
13. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
14. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
15. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
16. समस्त मंडलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
17. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0।
18. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
19. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
20. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव,